अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2024-हिं.अ. दिनांक: 30.10.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मूल पत्राचार में हिंदी के प्रयोग तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुपालन संबंधी।

उपर्युक्त विषय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दिनांक 14.10.2024 के पत्र सं.7-1/2024-हिं.अ. का संदर्भ लें जिसके तहत संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.09.2024 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त माननीय निदेशक महोदय के अनुमोदन से सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्थान में परिचालित किया गया था। इस कार्यवृत्त में इस बात पर विशेष बल दिया गया था कि संस्थान के कुछ अनुभागों/केंद्रों द्वारा हिंदी पत्राचार भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अनुभागों/केंद्रों के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारीगण/प्रशासन अधिकारीगण इस दिशा में स्वयं पहल करके जांच बिन्दुओं को सुदृढ़ करें और हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता जो एक बार प्राप्त कर ली जाती है उसमें गिरावट नहीं आने दें, अपितु उसमें और अधिक वृद्धि करने हेतु ठोस एवं परिणाम-मूलक कार्रवाई करें।

जैसा कि पहले भी समय-समय पर इस बात का उल्लेख किया जाता रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों/राज्य सरकारों/व्यक्तियों को भेजे जाने वाले 100% पत्र (ई-मेल सहित) हिंदी में भेजे जाने चाहिए। इसी प्रकार 'ग' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ 65% पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार से संस्थान द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाने अनिवार्य हैं। यह देखा गया है कि संस्थान के कुछेक अनुभागों/केंद्रों द्वारा उक्त अधिनियम का पूरा-पूरा पालन नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे कागजात केवल अंग्रेजी में यह कहकर जारी कर दिए जाते हैं कि हिंदी रूपांतर बाद में भेजा जाएगा लेकिन हिंदी रूपांतर या तो भेजा ही नहीं जाता है अथवा बहुत देर से जारी किया जाता है और उस समय उसे भेजने की कोई उपयोगिता भी नहीं रह जाती है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अधीन आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, करार, संविदा आदि हिंदी-अंग्रजी में साथ-साथ जारी किए जाने अपेक्षित होते हैं।

जारी--2/-

अत: संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों से एक बार फिर से यह अनुरोध किया जाता है कि हिंदी में मूल पत्राचार भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार करने तथा राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3 (3) का पूरा-पूरा अनुपालन सुनिश्चित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

(दिव्या यानामदाला)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरण:- तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक/अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता के निजी सचिव।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

नोट:

- **"क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**

- **"ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**

- **"ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।**